This RC issued in lieu of old RC No: - B-0372/ MUM/ PER/1000+ 15/4245/1994 after change of status.

सत्यमेव जयते

Protector General of Emigrants

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
Government of India
Ministry of External Affairs

पंजीकरण प्रमाणपत्र
REGISTRATION CERTIFICATE

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की
धारा 11 के अधीन जारी

ISSUED UNDER SECTION 11 OF THE EMIGRATION ACT, 1983

प्रमाणपत्र सं. ख
CERTIFICATE NO. B 1851/MUM/PART/1000+/5/10109/2022

प्रपत्र–V
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
प्रमाणपत्र
Form – V
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
CERTIFICATE
[नियम 10 (2) देखें]
[See rule 10 (2)]

Protector General of Emigrants

भारतीय श्रमिकों को विदेशी नियोक्ताओं के पास नियोजन हेतु भर्ती करने का व्यवसाय शुरू करने या चलाने हेतु उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 04/06/2022 के संदर्भ में मैसर्स .... को उक्त प्रमाणपत्र एतद्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर प्रदान किया जाता है, अर्थात् :
With reference to the application dated 04/06/2022.... for grant of a Certificate under Section 10 of the Emigration Act, 1983 to commence or carry on the business of recruitment for deployment of Indian workers with foreign employers, M/s Sadhana Agencies Global Placement is hereby granted the said certificate effective from the date of issue of this certificate, Subject to the following terms and conditions, namely:

(i) कि यह व्यवसाय / that the business shall be conducted at B-07, Valmiki Apartment, Next to Bombay Pharmacy College, Sunder Nagar, Kalina, Santacruz (East), Mumbai में किया जाएगा। 400098

(ii) कि यह प्रमाणपत्र पाँच (05) वर्षों की अवधि के लिए या 1000+ (असीमित) श्रमिकों की भर्ती पूरी होने तक, जो पहले हो, वैध रहेगा। विनिर्धारित अवधि से पहले निर्धारित संख्या के श्रमिकों की भर्ती पूरी हो जाने की स्थिति में प्रमाणपत्र धारक को वास्तविक माँग का साक्ष्य प्रस्तुत करने और नियम 8 के उप नियम (2) के अधीन अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर प्रमाणपत्र की वैधता अवधि पूरी होने तक भर्ती करते रहने की अनुमति दी जा सकेगी।
that this certificate is valid for a period of five (05) years or till the completion of the recruitment of 1000+ (Unlimited) workers, whichever is earlier. In the event of the recruitment of the specified number getting completed before the specific period, the holder of the certificate can be permitted to continue recruitment upto the expiry of the certificate on production of evidence of actual demand and on furnishing additional security under sub rule (2) of Rule 8;

(iii) कि प्रमाणपत्र धारक यह व्यवसाय निदेशक / साझेदार / स्वामी के हस्ताक्षर और मोहर के अंतर्गत करेगा और यह प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा।
that the holder of the certificate shall conduct business under signatures and seal of the director / partners / proprietor and the certificate shall not be transferable;

(iv) कि इस पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक फोटोप्रति व्यवसाय–परिसर में एक ध्यानाकर्षी स्थल पर पठनीय बड़े अक्षरों में लिखकर दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही किसी अन्य परिसर में, यदि कोई उपलब्ध है, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा सत्यापित उसकी एक प्रति ऐसे शाखा कार्यालय के व्यवसाय परिसर में ध्यानाकर्षी स्थल पर पठनीय बड़े अक्षरों में लिखकर दर्शायी जाएगी जिसमें भर्ती एजेंट को व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु पृष्ठांकित किया गया होगा। मूल प्रमाणपत्र उत्प्रवासन प्राधिकारियों / विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों और नियोक्ताओं द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
that a photocopy of this registration certificate shall be prominently displayed at a conspicuous place in the premises of the business. Also, a copy attested by the registering authority with an endorsement of having authorized the recruiting agent to carry on the business at additional premises, if any, shall be displayed at a conspicuous place in the business premises of such Branch Office, Original Certificate shall be produced on demand by the emigration authorities/law enforcing authorities and employer;